Fax/Mail

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3/कृ0 बजट आवंटन–22/2013– 175 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 04-11-2013

प्रेषक,

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषयः मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार तथा बीज ग्राम की समेकित राज्य योजना तथा केन्द्रीय बीज ग्राम योजना की स्वीकृति एवं इसके अधीन केन्द्रीय बीज ग्राम योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय की स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से ₹576.50 लाख (पाँच करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹5,76,50,000 (पाँच करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–5368, दिनांक–30.10.2013 द्वारा मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार तथा बीज ग्राम की समेकित राज्य योजना तथा केन्द्रीय बीज ग्राम योजना की स्वीकृति एवं इसके अधीन केन्द्रीय बीज ग्राम योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय की स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से ₹576.50 लाख (पाँच करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹5,76,50,000 (पाँच करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹5,76,50,000 (पाँच करोड़ छिहत्तर लाख पचास हज़ार रूपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म–केन्द्रीय योजनागत योजना–लघु शीर्ष–103–बीज–मांग सं०–1–उपशीर्ष–0417–"गुणवत्त बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, योजना आयोग स्कीम कोड–AGR/0013, विपत्र कोड-S2401001030417, विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा के अंतर्गत् वित्तीय वर्ष, 2013–14 के बजट में कुल उपबंधित ₹1200.00 लाख रू० से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि० (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–पत्रांक–7857 वि० दिनांक– 31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

04/11/13

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 175 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 04-11-2013

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुमन

04/11/13

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Prabhu dt-31.10.2013..doc 1

ज्ञापांक 175(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 04-11-2013

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, (पी०पी०एम०), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक राज्य बीज प्रामाणन एजेंसी, पटना/सभी संबंधित जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सभी संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक/सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/नोड्ल पदाधिकारी, आईसोपोम योजना/उप कृषि निदेशक, (बीज) कृषि विभाग, बिहार पटना/सभी संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

सुमन

ह0/- 04/11/13

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।